



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237614
CG-DL-E-28072022-237614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3301]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3301]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3466(अ).—केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 486(अ), दिनांक 12 अगस्त 1986 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ड.) के अधीन नियुक्त:

“8. श्री प्रवीण कुमार,
निदेशक [निर्यात उत्पाद (कृषि)], वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली।”

[फा. सं. 6/33/2017-ईपी (एग्री.IV)(भाग1)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 12 अगस्त 1986 के का.आ. 486 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और विगत में दिनांक 27 जून, 2022 के का.आ. 2893 (अ.) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following as the member of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for a period of two years with effect from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely:—

In the said notification, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

Appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4:

- “8. Shri Praveen Kumar,
Director [Export Products (Agriculture)], Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry,
Udyog Bhawan, New Delhi”.

[F. No. 6/33/2017-EP (Agri. IV)(Pt.1)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide S. O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and lastly amend vide S.O.2893(E), dated the 27th June, 2022.